

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

43

13

पत्रांक : 100/प्र0अ0-भवन/जोन-1/2011-12 दिनांक 12/07/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।










श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी श्री बृजेश कुमार पाण्डेय, श्रीमती रत्ना पाण्डेय पत्नी श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, श्रीमती संगीता पाण्डेय पत्नी श्री राजेश कुमार पाण्डेय स्थल जार्ज टाउन विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या-97 का पार्ट एवं भवन संख्या-18/26 हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद का जुजु भाग जोन संख्या (1) के अर्न्तगत आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 04 अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु ही करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत पत्र
अनुमति
18/7/2012

Continued

अनुमति प्राप्त है।
 1. माला हाशिमपुर रोड
 2. माला हाशिमपुर रोड
 3. माला हाशिमपुर रोड
 4. माला हाशिमपुर रोड
 5. माला हाशिमपुर रोड
 6. माला हाशिमपुर रोड
 7. माला हाशिमपुर रोड
 8. माला हाशिमपुर रोड
 9. माला हाशिमपुर रोड
 10. माला हाशिमपुर रोड



DISINTEGRIATE WORK SHOWN THIS
 PROPOSED WORK SHOWN THIS

PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF
 HOUSE NO. - 18/26 SITUATED AT MOHALLA
 HASHIMPUR ROAD PART OF PLOT NO.
 GEORGE TOWN EXTENSION SCHEME
 DISTT. ALLAHABAD




SCALE - 1:100

OWNER -
 (1) SMT. - RATNA PANDEY
 W/O SRI. - SURESH CHANDRA PANDEY
 (2) SMT. - SUNITA PANDEY
 W/O SRI. - BRIJESH KUMAR PANDEY
 (3) SMT. - SANGEETA PANDEY
 W/O SRI. - RAJESH KUMAR PANDEY

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.	
1. DOOR	D 1000X2400
2. DOOR	D 900X2400
3. DOOR	D 750X2400
4. WINDOW	W 1500X2000
5. WINDOW	W 900X2000
6. VENT.	V 750X600

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS
 MAP IS ACCORDING TO BUILDING
 BYE LAWS 2009 AND ALLAHABAD
 MASTER PLAN-2021

TOTAL AREA OF PLOT	416.32 SQ. MT.
PROPOSED AREA ON G.F.	226.89
PROPOSED AREA ON F.F.	226.89
OPEN AREA ON G.F.	164.66
OPEN AREA ON F.F.	188.93
OPEN AREA ON S.F.	252.16
MUMTY AREA	1410
GROUND COVERAGE	54.43 %
F. A. R.	1.48



DR.
 AIR. PART. AGRAWAL (B.Arch)
 C.O. No. 02/10/05/563
 1215, KANPUR
 Allahabad - 201005

रतनापंडित
 सुनीतापंडित
 संगाेतापंडित
 राजेशपंडित